विनोद एस. भारद्वाज **जे के समक्ष**

अंकित और अन्य-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य प्रतिवादी 2022 का सी. आर. आर. No.121

02 मार्च, 2022

भारतीय दंड **संहिता** 1860, **धारा –377**-यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012-**धारा** 10- **नाबालिग के साथ** अप्राकृतिक अपराध और **गंभीर** यौन हमले-**धारा** 377 **उस** स्थिति में भी **लगाई जा सकती है** जहां **प्रवेश** पीड़ित के शरीर के किसी अन्य हिस्से में होता है, **हालांकि** अधिनियम **के आयोग** में प्रमुख इरादा, हालांकि, यौन होना चाहिए। पीड़ित के शरीर **के आस–पास** चोट के किसी भी बाहरी निशान **के अभाव में दोषसिद्धि** खराब नहीं है-08 वर्ष की आयु का पीड़ित बच्चा, **जिसपर** कथित **तौर पर** बड़ी उम्र के 3 लड़कों **में जबरदस्ती की थी** और यह मानने की संभावना नहीं **थी** कि पीड़ित अपराध के अपराधियों को चुनौती देने या प्रतिरोध करने की किसी भी स्थिति में **था-** अभियोजन पक्ष द्वारा कोई स्टैंड नहीं लिया गया कि पीड़ित ने याचिकाकर्ताओं का हिंसक विरोध किया - **इसके अलावा किसी भी बाहरी चोट के निशान की अनुपस्थिति में केवल पीड़ित की गवाही के आधार पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। इसलिए आई.पी.सी. की धारा 377 और अधिनियम की धारा 10 के तहत अपराध बनता है। इसलिए दोषसिद्धि और सजा बरकरार रखी जाती है। धारा 377 ऐसी स्थिति में**

भी लागू की जा सकती है जहां पीड़ित के अन्य हिस्से में प्रवेश होता है हालांकि अधिनियम के आयोग में प्रमुख इरादा यह है कि यौन होना चाहिए। इसलिए, याचिकाकर्ताओं का यह तर्क कि पीड़ित के शरीर के चारों ओर चोट के किसी भी बाहरी निशान के अभाव में दोषसिद्धि गलत है, **और इसे** अच्छी तरह से स्थापित **नहीं होने के कारण खारिज किया जा सकता है**। अतः निम्नलिखित न्यायालयों के निर्णयों को उक्त आधार पर विकृत नहीं माना जा सकता है।(पैरा 30) आगे कहा **गया है कि मौजूदा मामले** में पीड़ित 08 वर्ष की आयु का एक बच्चा है जिसे कथित **तौर पर बड़ी** उम्र के 3 लड़कों **ने जबरदस्ती पकड़ लिया था** और उक्त परिस्थितियों में यह मानने की संभावना नहीं हो सकती है कि पीड़ित अपराध के अपराधियों को चुनौती या प्रतिरोध देने की स्थिति में था।इसके अलावा, अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसा कोई रुख नहीं अपनाया गया है कि पीड़ित ने याचिकाकर्ताओं का हिंसक विरोध किया था और अभियोजन पक्ष के ऐसे किसी भी रुख की अनुपस्थिति में **, और इस तरह का कोई भी सुझाव** गवाह के सामने रखा गया था।

बचाव में **जिरह के दौरान**, पीड़ित की गवाही **पर** केवल बाहरी चोट के किसी भी निशान की अनुपस्थिति के आधार पर **विश्वास** नहीं किया जा सकता है।इस प्रकार याचिकाकर्ताओं के वकील की ओर से प्रस्तुत की गई दलीलें कि **भारतीय दंड संहिता की धारा** 377 और/या पॉक्सो अधिनियम की **धारा** 10 के तहत अपराध नहीं **बनता** है, खारिज कर दिया **जाता** है और अस्वीकार किए जाने योग्य है।

(पैरा 32)

यू. के. अग्निहोत्री, अधिवक्ता

याचिकाकर्ताओं के लिए

कंवर संजीव कुमार, सहायक।ए. जी. हरियाणा

विनोद एस**.** भारद्वाज**,** जे**.**

(1) तत्काल पुनरीक्षण याचिका में विद्वत अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट, सोनीपत द्वारा CRA.35/2021 में पारित **दिनांक** 02.12.2021 के फैसले के साथ-साथ प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, सोनीपत द्वारा पारित **दिनांक** 09-03-21 दोषी ठहराए जाने के फैसले और **दिनांक** 12-03-21 सजा के आदेश को चुनौती दी गई है, **जिसके तहत** याचिकाकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता 1860 (संक्षेप में 'आई. पी. सी.') की **धारा** 377 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (संक्षेप में 'पॉक्सो अधिनियम') की **धारा** 10 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है। दिनांक 12.03.2021 के सजा के आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ताओं पर निम्नलिखित सजा लगाई गई थी जिन्हें **एक साथ चलती थी**।

नाम	खंड के तहत	कारावास
1. अंकित पुत्र **श्री** मनोज, **निवासी** गांव खंडराई, गोहाना शहर, सोनीपत	यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की **धारा** 10	2 साल की अवधि के लिए कारावास और रु। 1000/- **का** जुर्माने का भुगतान न करने पर उसे 30 **दिनों की अतिरिक्त** साधारण कारावास की सजा दी जाएगी।
1. अंकित, **पुत्र श्री** मनोज, **निवासी** गांव खंडराई, गोहाना शहर, सोनीपत	**भारतीय दंड संहिता की धारा** 377	2 साल की अवधि के लिए कारावास और Rs.500-का जुर्माना। जुर्माने का भुगतान न करने पर उसे 15 दिनों **की अतिरिक्त** साधारण कारावास की सजा दी जाएगी।

2. मोहन **पुत्र** मोती राम, **निवासी** गाँव खंडराई, गोहाना शहर, सोनीपत	यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 10	2 साल की अवधि के लिए कारावास और रु। 1000/- **का** जुर्माने का भुगतान न करने पर उसे 30 दिनों **की अतिरिक्त** साधारण कारावास की सजा दी जाएगी।

2. मोहन **पुत्र** मोती राम, **निवासी** गाँव खंडराई, गोहाना शहर, सोनीपत	**भारतीय दंड संहिता की धारा** 377	2 साल की अवधि के लिए कारावास और Rs.500-का जुर्माना। जुर्माने का भुगतान न करने पर उसे 15 दिनों **की अतिरिक्त** साधारण कारावास की सजा दी जाएगी।
3. दीपक **पुत्र श्री** बलराज, **निवासी** गांव खंडराई, गोहाना शहर, सोनीपत	यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 10	2 साल की अवधि के लिए कारावास और रु। 1000/- **का** जुर्माने का भुगतान न करने पर उसे 30 दिनों **की अतिरिक्त** साधारण कारावास की सजा दी जाएगी।
3. दीपक पुत्र **श्री** बलराज **निवासी** गाँव खंडराई, गोहाना शहर, सोनीपत	**भारतीय दंड संहिता की धारा** 377	2 साल की अवधि के लिए कारावास और Rs.500-का जुर्माना। जुर्माने का भुगतान न करने पर उसे 15 दिनों **की अतिरिक्त** साधारण कारावास की सजा दी जाएगी।

(2) मामले के संक्षिप्त तथ्यों **जो सामने आए है वह यह है** कि याचिकाकर्ताओं (कानून **उल्लंघन** करने वाले बच्चे और इसके बाद 'सी. सी. एल.' के रूप में संदर्भित) को विनोद कुमार **नामक व्यक्ति** द्वारा प्रस्तुत **एक** शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया था, जिसमें कहा गया था कि 15.09.2018 **को** उनका बेटा लक्ष्य, जिसकी आयु 08 वर्ष है, लगभग 6 वर्ष की आयु में प्राथमिक विद्यालय, गाँव खंडराई गया था:00 जहां अंकित **पुत्र मनोज, मोहन पुत्र** मोती राम और **दीपक पुत्र** बलराज ने **उसके बेटे के साथ अप्राकृतिक यौन अत्याचार किया।**

(3) उक्त बयान के अनुसार, प्राथमिकी दर्ज की गई, जांच की गई और आरोपी-सी. सी. एल. के अंकित, मोहन और दीपक को गिरफ्तार कर लिया गया।जाँच पूरा होने पर, **सी. आर.पी.सी. की धारा** 173 के तहत एक अंतिम रिपोर्ट किशोर न्यायाधीश बोर्ड, सोनीपत के समक्ष प्रस्तुत की गई।जहाँ तक सी. सी. एल. की किशोरता का **सवाल** है, कोई विवाद नहीं उठाया गया है।

(4) **धारा** 307 Cr.P.C के तहत प्रावधानों के अनुपालन और प्रथमदृष्टया मामला मिलने पर, भा.दं.सं. सी. की **धारा** 377 और पॉक्सो अधिनियम की **धारा** 10 के तहत आरोप का नोटिस सी. सी. एल. को दिया गया था, जिस पर **खुद को निर्दोष बताया** और मुकदमे का दावा किया।(5) संबंधित पक्षों के **द्वारा दिए गए सबुतों** पर विचार करने और विद्वान पक्षों द्वारा प्रस्तुत दलीलों के साथ इसकी सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद, प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्यायाधीश बोर्ड, सोनीपत इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अभियोजन पक्ष प्रस्तुत किए गए **साक्ष्यों** के आधार पर सी. सी. एल. के अपराध को **सफलतापूर्व स्थापित करने में सक्षम था** और सी. सी. एल. के अंकित, मोहन और दीपक को भा.दं.सं. सी. की खंड 377 और पॉक्सो अधिनियम की खंड 10 के तहत अपराध करने के लिए दोषी ठहराया **गया**।

(6) प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, सोनीपत द्वारा पारित दोषी ठहराए जाने के निर्णय दिनांक 09.03.2021 और दिनांक 12.03.2021 के सजा के आदेश को **विद्‌वान** सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट, सोनीपत के समक्ष CRA/35/2021 दाखिल करने के माध्यम से चुनौती दी गई थी।

(7) संबंधित पक्षों को सुनने के बाद और उनकी ओर से पेश वकील द्वारा **दी** गई दलीलों पर विचार **करने** के बाद, विद्वान सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट, सोनीपत ने **अपने आदेश दिनांक 02-12-2021 के तहत** सी. सी. एल. द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया।इसलिए, वर्तमान पुनरीक्षण याचिका।

(8) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दर्ज दोषसिद्धि का निष्कर्ष विकृत है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य से इसकी पुष्टि नहीं होती है।यह तर्क दिया **गया** है कि अभियोजन पक्ष पीड़ित के साथ प्रकृति की व्यवस्था के खिलाफ शारीरिक संभोग की प्रकृति में घटना की घटना को स्थापित **करने में सक्षम** नहीं है और इस संबंध में पीडब्लू-3 डॉ. सचिन, चिकित्सा अधिकारी, सीएचसी, गोहाना के बयान का **हवाला दिया गया** है जिसमें पीड़ित लक्ष्य **का मैडिकल परीक्षण करने वाले** आदेश वाले उक्त डॉक्टर द्वारा यह बयान दिया गया है कि उसने पीड़ित पर कोई

बाहरी चोट **के** निशान नहीं **मिले** हैं, जबकि यह स्वीकार **किया** कि एमएलआर Ex.PW3/B पर उसके हस्ताक्षर हैं।

(9) पीड़ित लक्ष्य के बयान का एक और संदर्भ दिया गया है जो पीडब्लू-11 के रूप में पेश हुआ है।याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा किए गए और प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्यायाधीश बोर्ड, सोनीपत द्वारा संदर्भित बयान के उद्धरण **जो इस प्रकार** है:-

"पीडब्लू-11 लक्ष्य, **पीड़ित** से कई सामान्य प्रश्न पूछे गए।लक्ष्य के साथ बातचीत के बाद, यह राय दी गई कि वह अपनी उम्र के हिसाब से गवाही देने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ है।इसके बाद **उसका** बयान दर्ज किया गया।उसने बयान दिया है कि 15.9.2018 **को** वह एक **सामान** खरीदने के लिए किसी दुकान पर जा रहा था। रास्ते में **उसकी** मुलाकात मोहन से हुई **जिसने** उन्हें अपने साथ जिम **में चलने के** लिए कहा। उसने उसे स्कूल के **एक** कमरे में बंद कर दिया।दीपक और अंकित नाम के दो लड़के पहले से ही वहाँ मौजूद थे और उन तीनों ने उसके साथ जबरन यौन **संबंध बनाए और उसके साथ यौन अप्राकृतिक अत्याचार किया। उसने** तीनों सी. सी. एल. की पहचान की। उसने **ब्यान दिया कि** उसने शोर मचाया था, जिस पर उसके पिता वहाँ आए । उसके पिता उसे अस्पताल ले गए।उसने बयान दिया है कि सी. सी. एल. ने उसे धमकी भी दी है कि अगर उसने किसी को **इस** घटना के बारे में बताया तो वह उसे जान से मार **देंगे। उन्होंने गवाही भी दे दी हे कि वह लगभग 06:30 सांय अपने पिता और दादी के साथ अस्पताल गया था।**

(10) उपरोक्त बयान का संदर्भ देते हुए, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि बयान में दिया गया संदर्भ तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि उक्त गवाह ने कभी भी अप्राकृतिक यौन संबंध होने के बारे में गवाही नहीं दी थी और केवल यह कहा था कि सी. सी. एल. ने उसके साथ 'गलत कार्य/बुरा कार्य' किया था।विद्वान वकील ने एक पूरक तर्क दिया कि

चूंकि चिकित्सा जांच उसी दिन और बिना किसी देरी के हुई है, पीड़ित के शरीर **या कपड़ों पर चोंट के किसी भी बाहरी निशान या वीर्य या शुक्राणु का पता न चलने से पीड़ित के साथ जबरन संभाग या अप्राकृतिक यौनाचार होने की कोई संभावना समाप्त हो जाती है।** इस प्रकार, यह तर्क दिया जाता है कि भा.दं.सं. सी. की **धारा** 377 के तहत दर्ज दोषसिद्धि का निष्कर्ष गलत है।

(11) विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया है कि पॉक्सो अधिनियम की खंड 10 के तहत याचिकाकर्ताओं की दोषसिद्धि भी टिकाऊ नहीं है क्योंकि गंभीर यौन हमले के आवश्यक **तत्व सामने नहीं आए हैं।** यह तर्क दिया जाता है कि प्रवेश की पुष्टि करने के लिए किसी भी चिकित्सा साक्ष्य की अनुपस्थिति में, खंड 3 और खंड 4 **प्रावधान में कोई दिलचस्पी नहीं होगी।**

क्योंकि आरोप पुष्टि करने वाले चिकित्सा साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं हैं।अंत में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता अपराध करने के समय स्वयं किशोर थे और इस तरह याचिकाकर्ताओं को सजा सुनाते समय एक उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, जिनके **सामने** एक पूरा करियर है और उक्त अपराध के तहत दोषसिद्धि के कारण उनकी **संभावनायें** को गंभीर रूप से प्रभावित **होगी**।विद्वान वकील ने आगे प्रह्लाद बनाम राजस्थान राज्य 1 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि **प्रवेशित उत्पीड़न** के आरोप को स्थापित करने के लिए एक पुष्टिकर और विश्वसनीय साक्ष्य की अनुपस्थिति में, **वकील ने** धारा 3 और 4 के तहत **दोषी ठहराया जा सकता है और यह टिकाउ नहीं है** और इस प्रकार इसे दरकिनार किया जा सकता है।माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के निम्नलिखित पैराग्राफ पर भरोसा **जताया है जो** निम्नानुसार निकाला गया हैः-

"11. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में पीड़ित के शरीर पर निम्नलिखित चोटों का पता चलता हैः

1.**बाई जांघ पर अगले घुटने पर 3 x 1से.मी.**

2. **दाहिनी पैर पर** 6 x1 सेमी।

3. दाहिनी जांघ पर 2 x1 सेमी खरोंच।

4. नाक पर 1 x 1.5 सेमी।

5. दाहिनी कलाई पर 1 x1 सेमी।

मुख्य जाँच में ही, पोस्टमॉर्टम जाँच करने वाले डॉक्टर पीडब्लू10 ने बयान दिया है कि पीड़ित के जननांग सामान्य थे।डॉक्टर ने आगे कहा कि मृतक की मौत तीव्र रक्तस्राव के कारण हुई थी।पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट EX P-15 में है। Ex पी15.**जिरह** में, डॉक्टर ने स्वीकार किया है कि उपरोक्त सभी **पांचों** चोटें प्रकृति में सरल हैं और उनके गिरने के कारण होने की संभावना है।बाईं पसली **की हड्डी में** फ्रैक्चर। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में उल्लिखित 10 और 11 **का कारण पत्थर पर गिरना हो सकता है। ग्वाह नं**10 ने आगे कहा कि मृतक के जननांग स्वस्थ थे और मृतक के निजी अंगों पर किसी भी चोट के निशान मौजूद नहीं थे।मृतक के जननांग के पास बाहरी त्वचा पर भी शुक्राणु स्खलन के संकेत नहीं पाए गए।मृतक के सिर पर कोई चोट नहीं थी।डॉक्टर साहब **ने**

1 2019(1) आर. सी. आर. (आपराधिक) 78 एंकिट और अन्य बनाम हरियाणा राज्य

आगे **कहा है कि** जब एक कोमल लड़की **के साथ** जबरन यौन संबंध बनाया जाता है, तो उसकी योनि टूटने और उसके जननांगों से खून बहने की संभावना होती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। योनि के स्वाब के संबंध में एफएसएल रिपोर्ट जो जांच के लिए भेजी गई थी, **वह** पॉक्सो अधिनियम की **धारा** 3 और 4 के तहत अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष के लिए सहायक नहीं है। अभियोजन, पॉक्सो अधिनियम की खंड 4 के तहत अपराध को साबित करने के लिए व्यावहारिक रूप

से केवल डॉक्टर के साक्ष्य पर निर्भर करता है। पॉक्सो अधिनियम की खंड 4 के तहत अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा कोई अन्य सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं रखी गई है। हालांकि, बच्चे की योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा आदि या शरीर के किसी भी हिस्से में प्रवेश से संबंधित सबूत नहीं मिले हैं।निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने **भी प्रवेशक** यौन हमले के अपराध से संबंधित साक्ष्य की गहराई में विस्तार से नहीं गया है।कुछ आकस्मिक टिप्पणियां की **गई** हैं जो अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं होती हैं। **गवाह नं.** 10 डॉक्टर के उपरोक्त साक्ष्य के **प्रकाश** में, और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि **प्रवेशन यौन उत्पीड़न** के आरोप को साबित करने के लिए कोई अन्य विश्वसनीय सबूत मौजूद नहीं है, यानी पॉक्सो अधिनियम की **धारा** 3 में **वर्णित** किसी भी **कृत्य पर**, यह हमारी सुविचारित राय है कि निचली अदालत और उच्च न्यायालय पॉक्सो अधिनियम की **धारा** 4 के तहत अपराध के लिए आरोपी को दोषी ठहराने में उचित नहीं हैं। हम उच्च न्यायालय के फैसले से **पाते** हैं कि पॉक्सो अधिनियम **की धारा 3 और 4** के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोपी को दोषी ठहराने के लिए **बिल्कुल भी कोई वैध कारण नहीं बताया गया है।** चूँकि पॉक्सो अधिनियम के उपरोक्त अपराध के लिए अभियुक्त के खिलाफ कोई विश्वसनीय सामग्री उपलब्ध नहीं है, इसलिए संदेह का लाभ अभियुक्त के पक्ष में जाएगा। **अंतरात्मा की आवाज को संतुष्ट करने के लिए रिकार्ड पर मौजूद सभी सामग्रीयों की जांच करने और स्कैन करने के बाद और आरोप की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए हम निष्कर्ष निकालते है** पॉक्सो अधिनियम की खंड 4 के तहत दंडनीय अपराध का संबंध है, आरोपी को संदेह का लाभ **दिया जाना चाहिए।**

12. चूँकि आरोपी को पॉक्सो अधिनियम की **धारा** 4 के तहत अपराध के लिए बरी किया जाना है, हमारी सुविचारित राय में, यह उस पर मृत्युदंड लगाने के लिए एक उपयुक्त मामला नहीं है, क्योंकि अपीलकर्ता की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है, न ही वह एक आदतन अपराधी है।

हत्या **के अपराध का मकसद** स्पष्ट नहीं है और निश्चित रूप से यह आम तौर पर छिपा हुआ है, केवल आरोपी को ही पता है।ऐसी परिस्थितियों में, अदालत को यह देखना होगा कि क्या यह मामला 'दुर्लभ से दुर्लभतम' मामले की श्रेणी में आता है।अभियुक्त भी प्रासंगिक समय के दौरान युवा था।यह दिखाना राज्य का कर्तव्य है कि अभियुक्त के सुधार या पुनर्वास की कोई संभावना नहीं है।जब अपराध **जघन्य** नहीं है, न ही निर्मम हत्या है, न ही शैतानी तरीके से किया गया है, तो अदालत आजीवन कारावास की सजा सुनाएगी। **मौजूदा** मामले में, **कम करने वाले कारक,** उत्तेजक कारकों से अधिक **महत्वपूर्ण** हैं।मामले में एकमात्र उत्तेजक बात यह है कि आरोपी ने नाबालिग लड़की की हत्या करने के लिए पीड़ित के परिवार में अपनी स्थिति का फायदा उठाया क्योंकि नाबालिग लड़की आरोपी को अपने मामा (चाचा) **की तरह मानती थी।**

13. हम यह नहीं पाते हैं कि हत्या अत्यधिक क्रूरता के साथ की गई है या इसमें असाधारण भ्रष्टता शामिल है। दूसरी ओर, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अभियुक्त युवा था और **सम्भावना यह है कि वह भविष्य में** आपराधिक कृत्य **करेगा,** रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है। इस बात की पूरी संभावना है कि अभियुक्त को सुधारा जा सकता है और उसका पुनर्वास किया जा सकता है। इस संदर्भ में, बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1080) 2 एस. सी. सी. 684 के मामले में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

“209. **ऐसी अन्य कई परिस्थितियां है जो हल्की सजा के पारित होने को उचित ठहराती** हैं; क्योंकि उत्तेजना की विपरीत परिस्थितियाँ हैं।“हम स्पष्ट रूप से ऐसी सभी स्थितियों को न्यायिक कंप्यूटर में नहीं **दर्ज कर** सकते हैं क्योंकि वे एक अपूर्ण और **उतार चढ़ाव वाले** समाज में ज्योतिषीय **रूप में असम्भव है फिर भी यह** 1

1980(2) SCC 684 **नहीं हो सकता है। इस** बात पर अधिक जोर नहीं दिया जा सकता है कि मृत्युदंड के क्षेत्र में कारकों को कम करने के दायरे और अवधारणा को **धारा** 354 (3) **दी गई** सजा नीति के अनुसार अदालतों द्वारा एक उदार और व्यापक निर्माण

प्राप्त होना चाहिए। न्यायाधीशों को कभी भी **खुन का प्यासा** नहीं होना चाहिए।हत्यारों को फांसी देना उनके लिए कभी भी अच्छा नहीं रहा है। भारत संघ द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्य और आंकड़े, **भले ही अधूरे हों**, बताते हैं कि अतीत में, अदालतों ने **अत्यधिक दंड दिया है यह एक और बहुत कम मामलों में ऐसा तथ्य सामने आया है जो उस सावधानी और करूणा सावधानी को प्रमाणित करता है।**

491

(विनोद एस. भारद्वाज, जे.)

जो उन्होंने हमेशा इतने गंभीर **मामलों** में अपने सजा सुनाने के **अपने विवेक का प्रयोग करते समय लगती है इसलिए यह चिंता व्यक्त करना जरूरी है कि** अदालतें, हमारे द्वारा बताए गए व्यापक **उदाहरणात्मक** दिशानिर्देशों की सहायता से, **धारा** 354 (3) में उल्लिखित विधायी नीति के **मार्ग पर निर्देशित अधिक ईमानदारी से देखभाल इस महत्वपूर्ण कार्य का निर्वहन करेगी, अर्थात** हत्या के दोषी व्यक्तियों के लिए, आजीवन कारावास नियम है और मौत की सजा एक अपवाद है।मानव जीवन की गरिमा के लिए एक वास्तविक और स्थायी चिंता कानून **के माध्यम से किसी का जीवन लेने के विरोध को** प्रस्तुत करती है। दुर्लभतम मामलों को छोड़कर **ऐसा** नहीं किया जाना चाहिए जब वैकल्पिक विकल्प निर्विवाद रूप से बंद कर दिया जाता है।"14. **जैसा** भी हो, चूंकि बलात्कार का अपराध साबित नहीं हुआ है और हत्या का अपराध उचित संदेह से परे साबित **हो चुका है**, इसलिए आरोपी भा.दं.सं. सी. की खंड 302 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। उपरोक्त कारणों को **देखते हुए**, पॉक्सो अधिनियम की खंड 3 और 4 के तहत निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा आरोपी को अपराधों के लिए दोषी ठहराने और उस पर मृत्यु दण्ड लगाने के फैसले को खारिज कर दिया गया है।हालाँकि, भा.दं.सं. सी. की खंड 302 के तहत अपराध के लिए, आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। उपरोक्त शर्तों **के तहत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।**

(12) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने दलबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य 2 के मामले में एक खण्ड पीठ के फैसले पर भी भरोसा **करते हुए** यह तर्क दिया कि एक **बच्चे के गवाह की स्व सेवारत गवाही,** जो भौतिक विवरणों में अप्रमाणित है, को स्वीकार नहीं किया जा सकता है और इसका मूल्यांकन अधिक सावधानी से और अधिक सावधानी के साथ किया जाना चाहिए क्योंकि एक बच्चा दूसरों की बातों से प्रभावित होने **के लिए अति संवेदनशील होता है।** उक्त निर्णय के पैराग्राफ का संदर्भ **इस प्रकार दिया गया :**

"18. **एक** बाल गवाह की गवाही के संबंध में कानून अच्छी तरह से स्थापित है।दोषसिद्धि **एक** बाल गवाह की गवाही के आधार पर हो सकती है।शपथ की अनुपस्थिति में में भी उनकी गवाही पर भरोसा किया जा सकता है, अगर वे प्रश्नों की प्रकृति को समझते हैं और उनके तर्कसंगत उत्तर देते हैं।एकमात्र सावधानी, जिसे न्यायालय को ध्यान में रखना चाहिए, जबकि

एक बाल गवाह के साक्ष्य का आकलन **करने का तात्पर्य** यह है कि गवाह विश्वसनीय होना चाहिए और उसका व्यवहार किसी अन्य सक्षम गवाह की तरह होना चाहिए और उसे पढ़ाए जाने की कोई संभावना नहीं है। ऐसा कोई नियम या प्रथा नहीं है कि **किसी मामले में दोषी ठहराए जाने से पहले** ऐसे गवाह के साक्ष्य की पुष्टि की जाए, लेकिन विवेक के **एक** नियम के रूप में अदालत हमेशा इस तरह के साक्ष्य की पुष्टि करना अन्य भरोसेमंद साक्ष्यों से वांछनीय समझती है। **रिकार्ड पर किसी बाल गवाह का** बाल गवाह का बयान दर्ज करने से पहले, विद्वत विचारण न्यायालय को खुद को संतुष्ट करना **होगा** कि गवाह गवाही देने में सक्षम **है**। एक बाल गवाह की गवाही को केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि उसकी कम उम्र के कारण, उसे पढ़ाया जाने की संभावना थी। **ऐसा** कानून नहीं है कि यदि कोई गवाह बच्चा है, तो **उसकी**

गवाही विश्वसनीय पाए जाने पर भी खारिज कर दी जायेगी। कानून यह है कि एक बाल गवाह के साक्ष्य का मूल्यांकन अधिक सावधानी से और अधिक **गहन निरीक्षण** के साथ किया जाना चाहिए क्योंकि एक बच्चा **को** दूसरों की बातों से दूर होने **की आशंका होती है।** वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, **विद्वान** विचारण न्यायालय ने **गवाह नं.6** हरजित सिंह की गवाही पर सही विश्वास किया है और उनके बयान पर भरोसा करते **समय** आवश्यक सावधानी बरती गई है।हमने **रिकार्ड** पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के साथ इस गवाह के बयान की भी जांच की है।उनके द्वारा वर्णित घटना का संस्करण विश्वसनीय है क्योंकि इसकी पुष्टि **रिकार्ड** पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों, विशेष रूप से चिकित्सा साक्ष्यों द्वारा की गई है, जैसा कि इस निर्णय के पहले भाग में चर्चा की गई **है।** अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने अदालत में इस गवाह के बयान को पीडब्लू 6 के रूप में संदर्भित करते हुए और पुलिस के समक्ष उसके द्वारा दिए गए बयान, जो कि रिकॉर्ड में Ex DA है, ने कुछ विरोधाभासों की ओर इशारा किया है, जैसे कि पुलिस के सामने उसने कहा कि उसकी मां और आरोपी दलबीर सिंह और करनैल सिंह के बीच झगड़ा दिन के समय हुआ था, जबकि अदालत में उसने कहा कि झगड़ा रात के समय हुआ था; या पुलिस के सामने उसने कहा कि उसकी मां पर डीजल का तेल छिड़का गया था, जबकि अदालत में उसने कहा कि **मिट्टी** का तेल छिड़का गया था; या **कि** अदालत में उसने कहा कि आरोपी ज्ञान सिंह और दलबीर सिंह ने **उसकी** मां को हथियार **से पकड़कर कमरे में ले गए। जबकि पुलिस के सामने उसने हथियारों का जिक्र नहीं किया**। हमारी राय है कि एक बाल गवाह के साक्ष्य में ये विरोधाभास

तुच्छ प्रकृति **के हैं** और अभियोजन **पक्ष के** मामले **को** आधार को प्रभावित नहीं करते हैं।

(13) याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, श्री कंवर संजीव कुमार, सहायक द्वारा दी गई दलीलों का विरोध करते हुए।ए. जी. हरियाणा ने कहा है कि बाल गवाह की गवाही को खारिज नहीं किया जा सकता है और दलबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य (सुप्रा) के मामले में याचिकाकर्ताओं के वकील **ने** जिस फैसले पर भरोसा किया गया है, वह अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करता है।उपरोक्त निर्णय में कहा गया है कि दोषसिद्धि **को आधार** बाल गवाह की गवाही पर आधारित हो सकती है और इस तरह की गवाही पर शपथ की अनुपस्थिति में में भी भरोसा किया जा सकता है, बशर्ते कि गवाह प्रश्नों की प्रकृति को समझता हो और **उसका** तर्कसंगत उत्तर देता हो।यह तर्क दिया जाता है कि जब पीड़ित/बाल गवाह पीडब्लू-11 के रूप में पेश हुआ था। **तो** अदालत ने अपनी संतुष्टि को विधिवत दर्ज किया था स्वयं को संतुष्ट करने के बाद कि बच्चे की मानसिक स्थिति **काफी** परिपक्व है और वह तर्कसंगत रूप से गवाही देने में समर्थ है, **तब** उक्त गवाह का बयान दर्ज किया गया था।इस प्रकार, पीड़ित/बाल गवाह की गवाही पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। **आगे** यह भी तर्क दिया **गया** है कि उच्च न्यायालय के उपरोक्त खण्ड पीठ के फैसले में यह भी कहा गया है कि ऐसा कोई नियम या प्रथा नहीं है कि प्रत्येक मामले में, दोषसिद्धि से पहले ऐसे गवाह के साक्ष्य की पुष्टि की जानी चाहिए।बल्कि, यह केवल विवेक का नियम है और अभिलेख पर **मौजूद** अन्य विश्वसनीय साक्ष्य से इस तरह के साक्ष्य की पुष्टि करना ही वांछनीय है।निचली अदालतों ने बाल गवाह की परिपक्वता और प्रश्नों के तर्कसंगत उत्तर देने की **उसकी** योग्यता का विधिवत मूल्यांकन **किया, उसकी योग्यता के बारे में अपनी संतुष्टि दर्ज की और उनके बयान पर विचार किया। यह भी तक दिया गया है कि** चोट के किसी भी बाहरी निशान की अनुपस्थिति में बाल गवाह की गवाही को **खारिज करने का आधार नहीं हो सकता है। आगे यह** प्रस्तुत किया जाता है कि गवाह पीडब्लू-11 लक्ष्य की गवाही जिसमें यह कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं ने "गलत कार्य/बुरा कार्य" किया था, उक्त वाक्यांश की सामान्य और सामान्य समझ को एक बच्चे के दृष्टिकोण से समझा जाना चाहिए और अपराध की गंभीरता का आकलन करने **के लिए** और अपराध के तत्वों का

पता लगाने के लिए घटना के विशिष्ट और विस्तृत विवरण की तलाश करने के लिए **पूर्ण विकसित** मापदंडों को लागू करना उचित नहीं होगा।

(14) विद्वान राज्य के वकील ने **यह प्रस्तुत करने के लिए** माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और **उसके पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए गणेशन बनाम राज्य के मामले पर भरोसा जताया है।**

3 2020 (10) एससीसी 573

जब बाल गवाह/पीड़ित परिपक्व, भरोसेमंद और विश्वसनीय था, और पूरी तरह से और पूरी तरह से **जिरह की गई थी, तो यौन उत्पीड़न के मामले में ऐसे पीड़ित के एकमात्र साक्ष्य के आधार पर सजा दी जा सकती है।**

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम मंगा सिंह **के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी हवाला दिया गया था यह देखा गया कि जब पीड़ित का साक्ष्य किसी भी आधार पर कमजोर और संभाव्यता कारक इसे विश्वस्नीयता के अयोग्य नहीं बनाता है।** तो चिकित्सा साक्ष्य के अलावा पुष्टि पर जोर देने का कोई कारण नहीं है।ऐसे मामलों में, अभियोजक की एकमात्र गवाही भी दोषसिद्धि **का** आधार **बनने के लिए** पर्याप्त होगी, यदि यह न्यायालय के विश्वास को प्रेरित करती है।विद्वान राज्य वकील द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **टिप्पणी** पर भरोसा किया गया है जो निम्नानुसार हैः- “12. सर्वोच्च न्यायालय के कई फैसलों से यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि बलात्कार के मामले में दोषसिद्धि के लिए पुष्टि अनिवार्य **शर्त** नहीं है।यदि पीड़ित का साक्ष्य किसी भी बुनियादी **कमजोरी** और 'संभावना कारक' **से ग्रस्त नहीं**

है इसे विश्वास के **अयोग्य** नहीं बनाता है।एक सामान्य नियम के रूप में, चिकित्सा साक्ष्य के अलावा पुष्टि पर जोर देने का कोई कारण नहीं है।हालाँकि, मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, चिकित्सा साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो सकते हैं।ऐसे मामलों में, **अभियोक्ता की सकान्त** गवाही दोषसिद्धि को आधार बनाने के लिए पर्याप्त होगी, यदि यह अदालत के विश्वास को प्रेरित करती है।"

(15) मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और उनकी सहायता **से मामले के रिकार्ड का अध्ययन किया है।**

(16) विचार के लिए जो **प्रश्न उठता** होता है वह नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय की वैधता और वैधता के संबंध में है।याचिकाकर्ता द्वारा **उठाए गई दलीलों की योग्यता पर** ध्यान देने से पहले, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 में निहित वैधानिक प्रावधान का उल्लेख करना आवश्यक होगा।प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों को निम्नानुसार निकाला गया हैः-

"धारा 2-परिभाषाएँ (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो,

(क) "उग्र **प्रवेशन** यौन हमला" का वही अर्थ है जो **धारा** 5 में दिया गया है;

(ख) "**गम्भीर यौन हमला**" का वही अर्थ है जो **धारा** 9 में दिया गया है;

4 2019 (16) एस. सी. सी. 759 **अंकित** और अन्य बनाम हरियाणा राज्य

एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स

(च) "**प्रवेशन** यौन हमला" का वही अर्थ है जो **धारा** 3 में दिया गया है;

एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स

एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स

धारा 3- **प्रवेशन** यौन हमला।- एक व्यक्ति को "**प्रवेशनात्मक** यौन हमला" करने **वाला** कहा जाता है यदि -

(क) वह अपने लिंग को किसी भी हद तक बच्चे की योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश कराता है या बच्चे को अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए कहता है; या

(ख) वह किसी भी हद तक, किसी भी वस्तु या **शरीर के किसी** अंग को, जो लिंग नहीं है, बच्चे की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में डालता है या बच्चे को अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए कहता है; या

(ग) वह बच्चे के शरीर के किसी भी हिस्से में हेरफेर करता है ताकि बच्चे की योनि, मूत्रमार्ग, गुदा या शरीर के किसी भी हिस्से में प्रवेश **कर सके** या बच्चे को अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए **कहता है या**

(घ) वह अपने मुँह को बच्चे के लिंग, योनि, गुदा, मूत्रमार्ग पर लगाता है या बच्चे को ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए कहता है।

खंड 9-गंभीर यौन हमला

(क) जो कोई भी, एक पुलिस अधिकारी होने के नाते, एक बच्चे पर यौन हमला करता है -

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

(एम) जो कोई बारह वर्ष से कम उम्र के बच्चे पर यौन हमला करता है; या

धारा 10-गंभीर यौन हमले के लिए सजा।- जो कोई भी गंभीर यौन उत्पीड़न **करेगा**, उसे किसी **एक** अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जो पांच साल से कम नहीं होगा, लेकिन जो सात साल तक बढ़ सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(17) उपरोक्त प्रावधानों के अवलोकन से पता चलता है कि **गम्भीर यौन हमला, प्रवेशन यौन हमले की तुलना में एक अलग अपराध है** की तुलना में गंभीर यौन हमला एक अलग अपराध है।

याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने पॉक्सो अधिनियम की **धारा** 3 पर भरोसा **जताया है** जो पॉक्सो अधिनियम की **धारा** 4 के तहत दंडनीय है। **मौजूदा** मामले में, याचिकाकर्ताओं को पॉक्सो अधिनियम की **धारा** 10 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है। उक्त प्रावधान पॉक्सो अधिनियम की **धारा** 9 के तहत निर्धारित गंभीर यौन हमले के लिए सजा से संबंधित है। **धारा** 9 (एम) में निर्धारित किया गया है कि जो कोई भी 12 साल से कम उम्र के बच्चे पर यौन हमला करता है, वह गंभीर यौन हमले के लिए उत्तरदायी होगा।पॉक्सो अधिनियम की **धारा** 7 यौन उत्पीड़न से संबंधित है और निम्नानुसार हैः-

धारा 7-यौन हमला।- जो कोई भी यौन इरादे से बच्चे की योनि, लिंग, गुदा या स्तन को छूता है या बच्चे को ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति की योनि, लिंग, गुदा या स्तन को **छूने के लिए कहता है**, या यौन इरादे से कोई अन्य कार्य करता है जिसमें प्रवेश के **बिना** शारीरिक संपर्क शामिल होता है, उसे यौन हमला कहा जाता है।

(18) उपरोक्त प्रावधानों **को** संयुक्त **रूप से पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि** यौन हमले के दंड को आकर्षित करने के लिए **प्रवेश** अनिवार्य नहीं है।कोई भी कार्य जिसमें यौन इरादे से बच्चे के निजी अंगों/जननांगों या प्राथमिक/माध्यमिक यौन विशेषताओं को छूना शामिल है, जिसमें प्रवेश के **बिना** शारीरिक संपर्क शामिल है, यौन **हमला माना जायेगा** चूँकि पीड़ित की आयु लगभग 08 वर्ष थी, इसलिए, **धारा** 9 (एम) के **तहत**, अपराध गंभीर यौन हमले की श्रेणी में आता है जो पॉक्सो अधिनियम की **तहत** 10 के तहत निर्धारित अवधि के साथ दंडनीय है।

(19) पीडब्लू-11 की गवाही के अवलोकन से यह स्थापित होता है कि पीड़ित को आरोपी व्यक्तियों द्वारा **जबरदस्ती पकड़ा गया था और उसके साथ गलत कार्य किया गया था। कथित गवाह से बचाव पक्ष द्वारा जिरह की गई थी, लेकिन**

उक्त गवाह ने याचिकाकर्ताओं द्वारा गलत कार्य/ बुरा कार्य अधिनियम के अधीन होने की बात दोहराई है और झूठे निहितार्थ के सभी सुझावों से इनकार किया है। उसने घटना से पहले की परिस्थितियों और उसके बाद के घटनाक्रमों का भी विस्तृत विवरण दिया है।कथित गवाह के बयान की विश्वसनीयता और स्वीकार्यता को केवल चिकित्सा साक्ष्य के माध्यम से पुष्टि के अभाव में बदनाम नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से जब आरोप एक गैर-प्रवेशन यौन हमले का हो।इस प्रकार जहां तक पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 के तहत दोषसिद्धि का संबंध है, इसमें कोई दुर्बलता नहीं है।

(20) वही अब भा.दं.सं. सी. की खंड 377 के तहत एक अपराध के लिए दोषसिद्धि की ओर ले जाता है, जो निम्नानुसार हैः

377. अप्राकृतिक अपराध।—जो कोई भी स्वेच्छा से किसी भी पुरुष, महिला या जानवर के साथ प्रकृति की व्याख्या के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाता है, उसे [आजीवन कारावास] की सजा दी जायेगी या किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा दी जायेगी जो दस साल तक बढ़ सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

स्पष्टीकरण।—इस धारा में वर्णित अपराध के लिए आवश्यक शारीरिक संभोग का गठन करने के लिए प्रवेश पर्याप्त है।

(21) विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि किसी भी प्रवेश को दर्शाने वाले चिकित्सा रिकॉर्ड की अनुपस्थिति में, भा.दं.सं. सी. की धारा 377 के तहत अपराध व्याख्यात्मक टिप्पणियों को देखते हुए आकर्षित नहीं होगा, भ्रामक इसे उसी रूप से खारिज किया जाता है, क्योंकि यह अनुभाग वास्तविक आपात नही है।

(22) उपरोक्त व्याख्या उदाहरणात्मक है और यह निर्धारित **करता** है कि प्रवेश की एक घटना शारीरिक संभोग का गठन करने के लिए पर्याप्त होगी। उक्त **स्पष्टीकरण को यह** इस अर्थ को निर्धारित करने के लिए नहीं पढ़ा जा सकता है कि शारीरिक संभोग के लिए प्रवेश आवश्यक है। **धारा** 377 को "भेदक संभोग" शब्द के **प्रयोग को** प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है **जबकि** इसे वैधानिक प्रावधान में निर्दिष्ट नहीं किया गया है।"भेदक संभोग" या "यौन संभोग" के **विपरित** "शारीरिक संभोग" वाक्यांश का उपयोग विधायिका का एक सचेत कार्य है जो **धारा** 377 के तहत अपराध को **अलग** करने के लिए विधायिका के स्पष्ट इरादे को दर्शाता है जो "यौन संभोग" **जिसके खिलाफ अपराध पर विचार किया गया वह ''संभोग'' विधवायिका की चूक न तो लापरवाही है और न ही अनदेखा परिणाम है। इसे ध्यान में रखते हुए यह** एक सचेत और जानबूझकर किया गया कार्य है क्योंकि भा.दं.सं. सी. की खंड 375, अपने संशोधन से पहले, विशेष रूप से "एक महिला के साथ यौन संबंध" शब्द का उपयोग करती थी। इसलिए, विधायिका को उक्त वाक्यांश से अनजान नहीं माना जा सकता है और यह माना जाना चाहिए कि उसने जानबूझकर **एक उद्देश्य से उद्देश्य प्राप्ती यानी** "शारीरिक संभोग" **चुना है।**

(23) "संभोग" शब्द को कानूनी साहित्य/कानूनी शब्दकोशों में निम्नानुसार **परिभाषित** किया गया है:-

कानूनी शब्दकोश और कानूनी साहित्य 'संभोग', 'यौन' और 'शारीरिक' शब्दों को परिभाषित करते हैं और उन शब्दों को जब **एक साथ** में उपयोग किया जाता है, तो निम्नलिखित तरीके से परिभाषित करते हैं:

i) पी. रामनाथ अय्यर की 'मेजर लॉ लेक्सिकन' का चौथा संस्करण (2010) **उसके व्यापक अर्थ में** 'संभोग' को 'व्यक्तियों के बीच सामाजिक संचार' के रूप में परिभाषित **करें।** ब्लैक कानून

शब्दकोश **के ब्लैक लॉ में**11 वां संस्करण "संभोग" को "शारीरिक यौन संपर्क **के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें** विशेष रूप से लिंग द्वारा योनि के प्रवेश को शामिल **है**"

ii) विषमलैंगिक संदर्भ में, "यौन संभोग" को दिया **जाने वाला** न्यायिक अर्थ **लिंग**-योनि प्रवेश है। यह अर्थ साक्षी (ऊपर) में पाया जाता है;

iii) पी. रामनाथ अय्यर के 'मेजर लॉ लेक्सिकन' के चौथे संस्करण (2010) में "**कार्नल**" शब्द का अर्थ **शारीरिक या कामुक से संबंधित किसी भी चीज से है।**

(24) 'शारीरिक संभोग' को परिभाषित करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ **ने** कमल बनाम राज्य के मामले में निम्नलिखित टिप्पणी की हैः-

51. इसलिए, हमारी राय में, **धारा** 377 में **आने** वाले 'प्रकृति के **नियम की व्यवस्था** के खिलाफ शारीरिक संभोग' में निम्नलिखित तत्व होने चाहिएः

i. इसका संबंध मांस और कामुकता से होना चाहिए, अर्थात् यह शारीरिक होना चाहिए;

ii.व्यक्तियों के बीच संभोग **अवश्य** होना चाहिए, इसे केवल मानव-से-मानव संभोग तक **सीमीत न रखते हुए**

iii.इसमें **लिंग**-योनि प्रवेश के अलावा अन्य प्रवेश शामिल होना चाहिए, क्योंकि धारा 377 की प्रकृति, इरादे और उद्देश्य **के बावजूद इसे अप्राकृतिक कृत्य का उल्लेख होना चाहिए, जैसे कि 'डिजिटल प्रवेश' या 'वस्तु' प्रवेश।**

52. उपरोक्त **सामग्रीयों** की आवश्यकता के अधीन, हम हालांकि पूरी तरह से सहमत हैं कि 'प्रकृति **की व्यवस्था** के खिलाफ शारीरिक संभोग' वाक्यांश को सटीकता के साथ परिभाषित **करने** का प्रयास न तो संभव है, **और शायद** वांछनीय भी **नहीं** है। तदनुसार,

यद्यपि हम 'प्रकृति की व्यवस्था के खिलाफ शारीरिक संभोग' वाक्यांश को कोई भी विस्तृत अर्थ देने में संकोच **करते** हैं, हम मानते हैं कि कानून के **मामले** में, उपरोक्त सभी **सामग्रियों के** जवाब देने **वाली** कोई भी शारीरिक **क्रिया**, जो एक नाबालिग पर किया **गया** है, वह 'प्रकृति की व्यवस्था के खिलाफ शारीरिक संभोग' है।

5 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन दिल्ली 5396 ए. एन. के. आई. टी. और अन्य बनाम हरियाणा राज्य

499

(विनोद एस. भारद्वाज, जे.)

(25) राजा बनाम राज्य के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के **मामले के** फैसले के निम्नलिखित उद्धरण का संदर्भ देना भी आवश्यक होगा, जिसका प्रतिनिधित्व पुलिस निरीक्षक, **सभी महिला** पुलिस स्टेशन पेराम्बुलर **जिले द्वारा 2019 की आपराधिक अपील नं. 741 / 2019 में दिनांक 26-07-2021 को निर्णय पारित किया गया था।** जिसका निर्णय 26.07.2021 **को** लिया गया, प्रासंगिक पैरा निम्नानुसार निकाला गया है:

18. हालाँकि PW-15 **डॉक्टर की गवाही जिसने पीड़ित का मैडिकल परीक्षण किया था कि गवाही में कहा कि कोई बाहरी चोंट नहीं है और मर्दानगी जांच के संबंध में आरोपी की चिकित्सीय जांच करने वाले चिकित्सक ने कहा कि** अपीलकर्ता के निजी हिस्से पर कोई बाहरी चोट नहीं थी, उक्त **डॉक्टर** P.W.11 **के समक्ष यह** सुझाव भी **रखा** गया था कि जबकि पुरुष 7 साल के बच्चे के साथ जबरन **संबंध बनाता** है, **तो** स्वाभाविक रूप से उसके **गुप्तांग में चोंट लग सकती है। लेकिन यह कठिन और तेज नियम नहीं है। यह उसके द्वारा किए गए बल पर निर्भर करता है और** यह उसके द्वारा किए गए **कृत्य** पर भी निर्भर करता है। **दोनों** डॉक्टर P.W.11 और P.W.15 दोनों ने कहा है कि पीड़ित या अपीलकर्ता के निजी हिस्से पर कोई बाहरी चोट नहीं है।लेकिन अभियोजन पक्ष के मामले

और पीड़ित के साक्ष्य पर अविश्वास करने का यह एकमात्र आधार नहीं हो सकता है। पीड़ित ने यह नहीं कहा है कि उसने जबरन प्रवेश किया और उसे दर्द हुआ या उसके शरीर के किसी भी हिस्से पर चोट लगी।

19. न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए बयान और डॉक्टर के समक्ष दिए गए बयान के सावधानीपूर्वक अवलोकन से पता चलता है कि अपीलकर्ता उसे झाड़ियों में ले गया जो गणेश मूर्ति के पीछे थी और उसके अंदर के वस्त्र को **उतार** दिया और उसने अपने अंदर के वस्त्र को भी **उतार** दिया और उसे फर्श पर लेटा और **वह उसके उपर लेट गया।** कुछ समय बाद, उसने उसे जाने के लिए कहा और किसी को न बताने की धमकी भी दी और वह वहाँ से चली गई और **अपने कपड़े गीले कर लिये।** इसलिए, अपीलकर्ता या पीड़ित को **न गली चोट,** अभियोजन पक्ष के मामले और पीड़ित के साक्ष्य पर अविश्वास करने का आधार नहीं हो **सकती** है।इसलिए, डॉक्टरों की राय भी **एक** निर्णायक प्रमाण नहीं है और एक अलग दृष्टिकोण **अपनाने** में सहायक नहीं होगी।

27. जहाँ तक अपीलकर्ता और पीड़ित के निजी हिस्से में चोट न लगने का संबंध है, P.W.11 और P.W.15 ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई चोट नहीं है। **लेकिन पीड़ित के साक्ष्यों को और सावधानीपूर्वक पढ़ने पर और पीड़ित के पिछले ब्यानों पर**

अभियोजन पक्ष **का मामला सभी उचित संदेहों से परे साबित होगा और** इसलिए चोटों की अनुपस्थिति अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं है।

(26) मद्रास उच्च न्यायालय के एक अन्य मामले में **की आपराधिक अपीलीय संख्या 267/2021** दाण्डिक अपीलीय सं 267 जिसका शीर्षक प्रेम कुमार बनाम राज्य का **जिसका प्रतिनिधित्व** पुलिस निरीक्षक, अखिल महिला पुलिस स्टेशन द्वारा,

मयिलादुथुरल पर निर्णय लिया, **जिसका फैसला 25-10721 को सुनाया गया** मद्रास उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी कीः

13. वर्तमान मामले में, पीड़ित बच्चे के अलावा कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, जो घटना के समय **और धारा** 64 के तहत बयान दर्ज करते समय **10 वर्ष का था** और जब अभियोजन पक्ष **ने** पीड़ित बच्चे की जिरह **की, तो** उसने **स्पष्ट रूप से** घटनाओं और अपीलकर्ता द्वारा किए गए अपराध के तरीके के बारे में बात की है, जो कि ठोस, सुसंगत और स्वाभाविक है और इसलिए यह न्यायालय पीड़ित बच्चे के साक्ष्य को **अविश्वसनीय** करने या अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं ढूंढता है।भले ही, पीड़ित और अन्य गवाह मुकर गए, लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा जिरह के दौरान पीड़ित ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आरोपी ने यौन उत्पीड़न किया है। कानून का **यह** प्रस्ताव **स्थागित** है कि शत्रुतापूर्ण गवाह के साक्ष्य को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जाएगा।यदि अभियोजन या अभियुक्त के पक्ष में **बात की जाती** है तो उसकी **बारीकी से जांच की जानी आवश्यक है** और साक्ष्य के उस हिस्से पर भरोसा किया जा सकता है जो अभियोजन या बचाव के मामले के अनुरूप है।पीड़ित के साक्ष्य पर अविश्वास करने के किसी भी वैध कारण की अनुपस्थिति में, इस न्यायालय ने पाया कि पीड़ित बच्चे का साक्ष्य न्यायालय के विश्वास को प्रेरित करता है।पीड़ित बच्चे के साक्ष्य को ध्यान से पढ़ने पर, इस न्यायालय को इस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं मिलता है।पूरी सामग्री को पढ़ने पर, इस न्यायालय का **मानना** है कि अभियोजन पक्ष ने सभी उचित संदेह से परे **अपना मामला** साबित कर दिया है। **विद्‌वान** विचारण न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य की सही परिप्रेक्ष्य में सराहना की है और तदनुसार अपीलकर्ता को दोषी ठहराया है, जिसमें इस न्यायालय को कोई विकृति नहीं **मिली है।**

(27) संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार "संभोग" शब्द का अर्थ है "यौन संबंध"**है।** यह निर्धारित **करने के लिए कि संभोग हुआ है या नहीं, इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या दौरा करने वाला अंग, कम से कम आंशिक रूप से किसी जीव द्वारा ढका हुआ है।**

इसी तरह, "पेनेट्रेट" शब्द को संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में परिभाषित किया गया है **''अंदर या उसके माध्यम से विवश पाता, गुजरनो'', जैसा कि केरल राज्य बनाम कुंडुममकारा गोविदम के मामले में देखा गया है। प्रासंगिक पैराग्राम को निम्नानुसार निकाला गया हैः**

18. भले ही मैं यह मानता हूं कि योनि में कोई प्रवेश नहीं **हुआ था** और यौन कृत्य केवल जांघों के बीच किए गए थे, मुझे नहीं लगता कि **उत्तरवादी** दंड संहिता की खंड 377 के तहत **सजा** से बच सकते हैं। **उत्तरदाताओं** के वकील का तर्क है (इस तर्क में लोक अभियोजक भी उसका समर्थन करता है) कि जांघों के बीच यौन क्रिया संभोग नहीं है। तर्क यह है कि संभोग के लिए दौरा किए गए अंग द्वारा पुरुष अंग का घेराव होना चाहिए; और यह कि जांघों के बीच यौन क्रिया के मामले में, प्रवेश की कोई संभावना नहीं है।19. 'संभोग' शब्द का अर्थ है 'यौन संबंध' (संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड शब्दकोश)।खानू बनाम सम्राट ए. आई. आर. 1925 सिंध 286 में 'संभोग' शब्द **का अर्थ माना गया है और यह निर्णय करना कि संभोग हुआ है या नहीं। इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि** क्या दौरा करने वाला अंग कम से कम आंशिक रूप से **दौरे वाले** जीव द्वारा ढका हुआ है। जांघों के बीच संभोग में, आने वाला पुरुष अंग कम से कम आंशिक रूप से दौरा किया **गए जीव,** जांघों से ढका होता हैःजांघों को एक साथ और कसकर रखा जाता है।

20. फिर प्रवेश के बारे में।संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में '**प्रवेश**' शब्द का अर्थ है 'अंदर **तक पहुंच पाना या पार करना**। जब पुरुष अंग को एक साथ **रखी हुई और कसकर रखी हुई जांघों के बीच में डाला जाता है, तो क्या कोई प्रवेश नहीं होता है? 'इन्सर्ट' शब्द का अर्थ है जगह, फिट, जोर,।**

इसलिए, यदि पुरूष अंग को जांघों के बीच 'डाला' या 'जोर' दिया जाता है, तो इसे अप्राकृतिक अपराध माना जाता है।

21. दंड संहिता की **धारा** 377 में अप्राकृतिक अपराध को परिभाषित किया गया है; जो कोई भी स्वेच्छा से किसी भी पुरुष, महिला या जानवर के साथ प्रकृति की व्यवस्था के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाता है, वह अप्राकृतिक अपराध करता है। जांघों के बीच संभोग **करने का** कार्य प्रकृति की व्यवस्था के खिलाफ शारीरिक संभोग है।इसलिए दूसरे की जांघों के बीच पुरुष अंग डाल कर संभोग करना एक अप्राकृतिक अपराध है।इस संबंध में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि

धारा 376 "निश्चित रूप से यौन संबंध" है और **धारा** 377 में प्रकृति की व्यवस्था के खिलाफ शारीरिक संभोग है। "

22. इस प्रश्न पर अंग्रेजी कानून की स्थिति मेरे **संज्ञान** में लाई गई है।रेक्स बनाम सैमुअल जैकब्स (1817) रस और **राय** 381 सीसीई **के पुराने फैसले में कहा गया है कि मुह के माध्यम से प्रवेश अंग्रेजी कानून के तहत सोडोमी के अपराध की श्रेणी में नहीं आता है।** इसलिए वकील का तर्क है कि जांघों के बीच यौन संबंध भी दंड संहिता की खंड 377 के तहत अपराध नहीं हो सकता है। सिरकर बनाम गुला मिथियन पिल्लई चैथू महो में। माथु, 1908 टी. एल. आर. खण्ड XIV परिशिष्ट 43, त्रावणकोर उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने **माना** कि किसी व्यक्ति के मुँह में संबंध **बनाना** दंड संहिता की **धारा** 377 के तहत एक अपराध है।एक संक्षिप्त निर्णय में, विद्वान न्यायाधीशों ने माना कि अंग्रेजी अधिनियम कानून और अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकों का उल्लेख करना अनावश्यक था जो **लौंडेबाजी, गुंडागर्दी**, बगरी और पशुता शब्दों की व्याख्या पर आगे बढ़ते थे; और यह कि दंड संहिता में उपयोग किए गए शब्द बहुत उद्देश्यपूर्ण थे और प्रकृति की व्यवस्था के खिलाफ सभी **कृत्यों** को शामिल **करने** के लिए पर्याप्त थे।इस

प्रश्न पर मेरा विचार यह भी है कि **धारा** 377 के शब्द इतने सरल और व्यापक हैं कि वे **प्रकृति की व्यवस्था के खिलाफ किसी भी शारीरिक संभाग को इसके दायरे में शामिल कर सकते है। दूसरों की जांघों के बीच किया गया संभोग प्रकृति की व्यवस्था के खिलाफ है।**

28) उपरोक्त घोषणाओं के अवलोकन के साथ-साथ "शारीरिक संभोग" शब्द की समझ से यह स्पष्ट है कि **धारा** 377 को आकर्षित करने के लिए, विचाराधीन अधिनियम का संबंध मांस और कामुकता से होना चाहिए और इसमें शिश्न योनि प्रवेश के अलावा अन्य प्रवेश शामिल होना चाहिए।याचिकाकर्ताओं का तर्क केवल **धारा** 377 **के दायरे में केवल एक पहलू तक ही सीमित है**, जो गुदा मैथुन के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द है और सदोम और गोमोराह की पुराने नियम की कहानी से लिया गया है। याचिकाकर्ता की यह **विचारोत्तेजक** व्याख्या कि भा.दं.सं. सी. की **धारा** 377 को **लागू** नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक **किसी ऐसी घटना के घटित होने के लिए जहां गुदा प्रवेश होता है, उसे कानून में समर्थन नहीं मिलता है।**

(29) भा.दं.सं. सी. की **धारा** 375 के तहत बलात्कार की परिभाषा के साथ-साथ भा.दं.सं. सी. की **धारा** 377 के तहत निहित प्रावधान की तुलनात्मक जांच **से** एक और महत्वपूर्ण अंतर **भी पता चलता है।** जबकि **धारा** 375 अधिनियम को दोनों लिंगों यानी पुरुष और महिला को शामिल करने **का प्रावधान करती है। धारा 377 के तहत ऐसी कोई आवश्यकता निर्धारित नहीं है।**

तथ्य यह है कि **धारा** 377 का उद्देश्य लैंगिक रूप से तटस्थ होना था, विधायिका ने इसे **भारतीय दंड संहिता** की **धारा** 375 के तहत विचार किए जाने के अलावा केवल प्रवेश की स्थिति में ही **इसे** आकर्षित करने का आदेश दिया **था।** भा.दं.सं. सी. की **धारा** 377 के

तहत अपराध दो महिलाओं के खिलाफ भी **हो** सकता है, जहां **प्रवेश का जैसा कि** याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता **ने अनुमान लगाया है,** एक संभावित घटना नहीं हो सकती है।इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं का तर्क वैधानिक अधिदेश के अनुरूप नहीं है।

(30) इसलिए, **धारा** 377 को ऐसी स्थिति में भी **लागू की जा सकती** है जहां प्रवेश पीड़ित के शरीर के किसी अन्य हिस्से पर होता है, हालांकि, अधिनियम **के कार्यान्वयन में** प्रमुख इरादा यौन होना चाहिए।इसलिए, याचिकाकर्ताओं का यह तर्क कि पीड़ित के शरीर के चारों ओर चोट के किसी भी बाहरी निशान के अभाव में दोषसिद्धि गलत है, खारिज **किये जाने योग्य** है क्योंकि यह अच्छी तरह से स्थापित नहीं है।अतः **निचली** न्यायालयों के निर्णयों को उक्त आधार पर विकृत नहीं माना जा सकता है।(31) ऐसा मानने के बाद, अब पीड़ित व्यक्ति **के शरीर पर** चोट की अनुपस्थिति के पहलू का उल्लेख करना आवश्यक होगा। माननीय **सर्वोच्च** न्यायालय ने विजय @चिन्नी बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में 2008 **की आपराधिक सं.** 660 **के तहत दिनांक 22-07-10 को** निर्णय दिया था कि पीड़ित व्यक्ति पर चोट या हिंसा के निशान की अनुपस्थिति में महत्वहीन है।हिंसक प्रतिरोध की स्थिति में भी ऐसा ही होगा।हालाँकि, जहाँ पीड़ित नाबालिग है या सरासर डर के कारण अपरिहार्य **की स्थिति में** आत्मसमर्पण कर दिया है, वहाँ पीड़ित को कोई चोट न लगने की संभावना हो सकती है। माननीय **सर्वोच्च** न्यायालय द्वारा अभिलिखित टिप्पणियों को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

26. गुरचरण सिंह बनाम हरियाणा राज्य के मामले में

ए. आई. आर. 1972 एस. सी. 2661, इस न्यायालय ने **माना है** कि "**अभियोक्ता के निजी भाग पर** चोट या हिंसा के निशान की अनुपस्थिति का कोई परिणाम नहीं है जब अभियोजक नाबालिग है और केवल हिंसक प्रतिरोध की **इच्छा** का सुझाव देगा।वर्तमान मामले में हिंसा या कठोर प्रतिरोध की अनुपस्थिति में भी असहाय, सरासर डर के कारण

अपरिहार्य के सामने आत्मसमर्पण करने का संकेत दे सकती है।किसी भी स्थिति में, उसकी सहमति मामले को बलात्कार की परिभाषा से बाहर नहीं **ले जायेगी।**

(32) **इस** मामले में पीड़ित 08 वर्ष की आयु का एक बच्चा है **जिस पर** कथित तौर पर **बड़ी** उम्र के 3 लड़कों **ने जबरदस्ती की थी** और उक्त परिस्थितियों में यह मानने की संभावना नहीं है कि पीड़ित **अपराध के अपराधियों को चुनौती या प्रतिरोध देने की किसी भी स्थिति में था।**

इसके अलावा, अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसा कोई रुख नहीं अपनाया गया है कि पीड़ित ने याचिकाकर्ताओं का हिंसक विरोध किया था और अभियोजन पक्ष के ऐसे किसी भी रुख की अनुपस्थिति में, और बचाव में जिरह के **दौरान** गवाह के सामने ऐसा कोई सुझाव **दिया गया था। बचाव पक्ष के अनुसार** पीड़ित की गवाही को केवल बाहरी चोट के किसी भी निशान की अनुपस्थिति के आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।इस प्रकार याचिकाकर्ताओं के वकील की ओर से प्रस्तुत की गई दलीलें कि भा.दं.सं. सी. की **धारा** 377 और/या पॉक्सो अधिनियम की खंड 10 के तहत अपराध नहीं **बनता** है, खारिज कर दिया **जाता** है और अस्वीकार किए जाने योग्य है।

(33) इस प्रकार यह **माना** जाता है कि भा.दं.सं. सी. की **धारा** 377 और पॉक्सो अधिनियम की **धारा** 10 के तहत अपराधों के लिए **निचली** न्यायालयों द्वारा पारित दोषसिद्धि का आदेश वैध, कानूनी और कानून के अनुसार है और इसमें कोई अवैधता, दुर्बलता या विकृति नहीं है।

(34) अब, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ उदार दृष्टिकोण **अपनाने** के लिए याचिकाकर्ताओं की **अलग दलील** का **जिक्र** करते हुए, पॉक्सो अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों का उल्लेख करना आवश्यक होगा। इसका एक संदर्भ एरा बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) 6 के निर्णय में भी दिया गया था और यह निम्नानुसार हैः-

20. उद्देश्यों और कारणों के कथन और पॉक्सो अधिनियम की प्रस्तावना का उल्लेख करने का उद्देश्य **सराहना करना** है कि वर्तमान प्रकृति का कानून लाने का उद्देश्य बच्चों को यौन उत्पीड़न और शोषण से बचाना और बच्चे के सर्वोत्तम हित को सुरक्षित करना है। प्रस्तावना के एक **गहरी** और मेहनती **समझ से**, यह स्पष्ट है कि यह एक बच्चे की **निजता** और गोपनीयता के अधिकार की आवश्यकता को हर व्यक्ति द्वारा हर तरह से और बच्चे को शामिल करने वाली न्यायिक प्रक्रिया के सभी चरणों द्वारा से संरक्षित और सम्मानित करने की आवश्यकता को मान्यता देता है।बच्चे के स्वस्थ शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए हर स्तर पर सर्वोत्तम हित और कल्याण को सर्वोपरि माना जाता है।एक शर्त यह भी है कि **यौन शोषण** और **यौन शोषण** जघन्य अपराध हैं और इन्हें प्रभावी ढंग से संबोधित करने की आवश्यकता है।उद्देश्यों और कारणों के विवरण में संवैधानिक जनादेश को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करने की दिशा में अपनी नीति निर्देशित करने का प्रावधान है कि बच्चों की कम उम्र का दुरुपयोग न हो और उनका बचपन

शोषण से संरक्षित किया जाता है और उन्हें स्वस्थ तरीके से और स्वतंत्रता और गरिमा की स्थितियों में विकास करने की सुविधाएं दी जाती हैं। **इसमें एक** उल्लेख भी है जो काफी महत्वपूर्ण है कि पीड़ित और गवाह दोनों के रूप में बच्चे के हित की रक्षा करने की आवश्यकता है।बच्चों के अनुकूल प्रक्रिया प्रदान करने पर जोर दिया जा रहा है।कानून की योजना में बच्चे की गरिमा पर बहुत जोर दिया गया है।पॉक्सो अधिनियम के पाठ में संरक्षण और हित का महत्वपूर्ण स्थान है।

(35) इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2022 **आपराधिक** अपीलीय सं 144/2022 वाले नवाबुद्दीन बनाम उत्तराखंड राज्य के मामले में **दिनांक** 08.02.2022 पर **फैसला सुनाया जो-**

9.3 जैसा कि पॉक्सो अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण से देखा जा सकता है क्योंकि बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों को मौजूदा कानूनों द्वारा पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया गया था और बड़ी संख्या में ऐसे अपराधों के लिए न तो विशेष रूप से प्रावधान किया गया था और न ही उन्हें पर्याप्त रूप से दंडित किया गया था, पॉक्सो अधिनियम बच्चों को यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न और **अश्लीलता** के अपराधों से बचाने और ऐसे अपराधो **की सुनवाई के लिए** के मुकदमे के लिए और उनसे जुड़े और प्रासंगिक मामलों के लिए विशेष अदालत की स्थापना का प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया है।

9.4 इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि पॉक्सो अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 और 39 को ध्यान में रखते हुए **बनाया** गया है।संविधान का अनुच्छेद 15, अन्य बातों के साथ साथ साथ-साथ, **बच्चों को,** बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्तियों को प्रदान करता है।अनुच्छेद 39, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान करता है कि राज्य विशेष रूप से **अपनी नीति को** यह सुनिश्चित करने का **निर्देशित** निर्देशन करेगा कि बच्चों की कम उम्र का शोषण न हो और उनके बचपन और **युवावस्था** को शोषण से बचाया जाए और उन्हें स्वस्थ तरीके से और स्वतंत्रता और गरिमा की **परिस्थितियों में विकसित होने की** सुविधाएं दी जाएं।संविधान के अनुच्छेद 15 और 39 के अनुसार लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, विधायिका ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 लागू किया है।

9.5 **जैसा कि वस्तुओं और कारणों के विवरण में उल्लेख किया गया है, बच्चों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुसार, जिसमें भारत संधि का एक हस्ताक्षकर्ता है, राज्य पक्ष, सभी उचित राष्ट्रीय, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय उपाय करने होंगे।**

(ए) **किसीभी बच्चे को** किसी भी गैरकानूनी यौन गतिविधि में शामिल होने के लिए **प्रेरित करना या जबरदस्ती करन**; (बी) वेश्यावृत्ति या अन्य गैरकानूनी यौन प्रथाओं में बच्चों का शोषणकारी उपयोग; और (सी) अश्लील प्रदर्शनों और सामग्रियों में बच्चों का शोषणकारी उपयोग।

कन्वेंशन के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित कहा गया हैः

1. राज्य **पर्तियां**, कानूनी अभिभावक या बच्चे की देखभाल करने वाले किसी भी अन्य व्यक्ति की देखभाल में रहते हुए बच्चे को **सभी प्रकार की** शारीरिक या मानसिक हिंसा, चोट या दुरुपयोग, उपेक्षा या लापरवाही व्यवहार, दुरुपयोग या शोषण सहित यौन शोषण के सभी रूपों से बचाने के लिए सभी उचित विधायी, प्रशासनिक, सामाजिक और शैक्षिक उपाय करेंगे।

2. इस तरह के सुरक्षात्मक उपायों में, जहां तक उचित हो, बच्चे और बच्चे की देखभाल करने वालों के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए सामाजिक कार्यक्रमों की स्थापना के लिए प्रभावी प्रक्रियाएं शामिल होनी चाहिए, साथ ही रोकथाम के अन्य रूपों के लिए और पहचान, रिपोर्टिंग, रेफरल, जांच, उपचार और पहले वर्णित बाल दुर्व्यवहार के मामलों का अनुवर्ती कार्रवाई और न्यायिक भागीदारी के लिए, जैसा उचित हो, शामिल होनी चाहिए।

सम्मेलन पर सामान्य टिप्पणी No.13 विशेष रूप से सभी प्रकार की हिंसा से **बच्चे की** स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है और यह देखा गया है कि "बच्चों के खिलाफ कोई भी हिंसा उचित नहीं है; बच्चों के खिलाफ सभी हिंसा को रोका जा सकता है"

10. उपरोक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए और बच्चों को यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न के अपराधों से बचाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और 39 के तहत जो प्रावधान किया गया है, उसे प्राप्त करने के लिए पॉक्सो अधिनियम, 2012 लागू किया गया है।बच्चों **के साथ** यौन हमले या यौन उत्पीड़न के किसी भी कार्य को बहुत गंभीरता से देखा जाना चाहिए और बच्चों पर यौन **उत्पीड़न या** यौन उत्पीड़न के **किसी भी कृत्य को बहुत गंभीरता** से निपटा जाना चाहिए और पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध करने वाले व्यक्ति के प्रति कोई नरमी नहीं दिखाई जानी चाहिए। यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न के

कृत्य के अनुरूप एक उपयुक्त सजा **देकर समाज में** बड़े पैमाने यह संदेश दिया जाना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति **पोस्को एक्ट** के तहत कोई अपराध करता है।

507

(विनोद एस. भारद्वाज, जे.)

पोस्को एक्ट के तहत यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न या अश्लील **प्रयोजनों** के लिए बच्चों के उपयोग **करने वालों को** पॉक्सो अधिनियम के तहत उन्हें उचित रूप से दंडित किया जाएगा और उन्हें कोई नरमी नहीं दिखाई जाएगी।बच्चों पर यौन हमले या यौन उत्पीड़न के मामले यौन संबंध के **प्रति** विकृत वासना के उदाहरण हैं जहां निर्दोष बच्चों को भी इस तरह के अपमानजनक यौन सुख की खोज में नहीं बख्शा जाता है।

(36) **कानून** के उद्देश्य का अवलोकन अदालतों को बच्चों के खिलाफ अपराधों से संबंधित मामलों में **न्यायालयों को** रुख अपनाने की आवश्यकता को फिर से **बल देता** है।एक गलत सहानुभूति वैधानिक **वस्तु** और उद्देश्य को विफल करने की संभावना है।यह देखते हुए कि घटना की तारीख को **पीड़ित** केवल 08 वर्ष का बच्चा है, उसकी गरिमा का सरासर क्रूर बल द्वारा उल्लंघन किया गया है, मैं उक्त **दलील को भी स्वीकार करने और उसे अस्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हूँ।**

(37) इसलिए, मुझे भा.दं.सं. सी. की **धारा** 377 और पॉक्सो अधिनियम की **धारा** 10 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए याचिकाकर्ताओं को दोषी ठहराते हुए **निचली** अदालतों द्वारा पारित फैसले में रिकॉर्ड **पर स्पष्ट रूप से** कोई अवैधता, दुर्बलता, विकृति या कोई त्रुटि नहीं **मिली** है। याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत **दलीलों** में कोई योग्यता नहीं पाते हुए, तत्काल पुनरीक्षण याचिका को तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

अनुवादक : पूनम